Based on reports furnished by these agenices, in cases where the imported fertilizers do not meet the specifications, action in accordance with the provisions of the Fertiliser (Control) Order, 1985 read with the Essential Commodities Act, 1955 (ECA), is taken. Besides, in case of urea, which is under Government control, penalty is also imposed on suppliers in accordance with prescribed guidelines. Recently, 11736 MTs of urea discharged from vessel "Sea Venus" at Sagour port was found to be deficient in terms of the particle size specifications. Notice for imposition of penalty has been issued to the canalising agency in this case. In case of other fertilizers covered under the Adhoc Concession Scheme, concession is not admissible on non-standard fertilizers.

The existing provisions of the FCO are adequate. These provisions are, however, reviewed and amended from time to time on need-based considerations.

Administrative Pattern of KVS

1417. **SHRI GOVINDRAM MIRI:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether KVS follows the administrative pattern of the Central Government with regard to powers and duties of Superintendents and analogous cadres;

(b) if so, whether it is a fact that powers of Superintendents posted in (i) Kendriya Vidyalayas and (ii) Headquarters and Regional Offices of KVS are different with regard to Annual Confidential Reports; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) powers and duties assigned to various officers depend on the nature of work handled by them.

(b) and (c) Yes, Sir. The powers of writing Annual Confidential Reports depend on the hierarchy of officers and channel of Supervision in each set-up

विकलांगों को रेल किरायें में रियायत दिया जाना

1418. **प्रो० राम लखन सिंह यादव:** क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांगों को रेल किराये में 75 प्रतिशत रियायत दी जाती है;

(ख) क्या यह रियायत सभी श्रेणियों में दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि विकलांगों को राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के किराये में कोई रियायत नहीं दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार शताब्दी एवं राजधानी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के किराये में विकलांगों हेतु कोई रियायत देने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो यह रियायत कब तक दे दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां। विकलांग व्यक्तियों को केवल प्रथम, द्वितीय एवं स्लीपर क्लास में 75% की रियायत दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वित्तीय सीमाओं के कारण वा. कू. श्रेणियों में किसी भी कोटि के व्यक्ति को रियायत नहीं दी गई है। बहरहाल, चूंकि प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों को वा.कू. 2-टियर स्लीपर सवारी डिब्बों में बदला जा रहा है, वे सभी व्यक्ति, जो प्रथम श्रेणी में रियायत प्राप्त करने के पात्र हैं, प्रथम श्रेणी के रियायती किराए और दोनों श्रेणियों के वास्तविक किराए के अंतर का भुगतान करके वातानुकूलित 2-टियर श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं।

(घ): जी, हां।

(ङ) राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां सेवा की बेहतर गुणवत्ता और अधिक किराए वाली सहित विशेष कोटि की गाड़ियां हैं। राजधानी/शताब्दी गाड़ियों की परिचालन/अनुरक्षण लागत भी तुलनात्मक रूप से